न्यायालय सत्र न्यायाधीश, शामली।
उपस्थित – **इन्द्र प्रीत सिंह जोश, उच्चतर न्यायिक सेवा।**
(J.O. Code- UP 1894)
जमानत प्रार्थना पत्र सं0–255/2026

सुनीता पत्नी गुलाब सिंह, निवासी ग्राम चौसाना, थाना झिंझाना, जिला शामली।

.....आवेदिका/अभियुक्ता,

बनाम

राज्य **.....विपक्षी।**

मु0अ0सं0–8/2026
धारा–85, 80(2), 115(2) बी.एन.एस व
धारा 3/4 डी.पी. एक्ट
थाना– झिंझाना, जनपद शामली।

अभियुक्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता– **श्री ईशपाल सिंह, अधिवक्ता।**
राज्य की ओर से– **श्री संजय चौहान, जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक।**

03.04.2026

यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदिका/अभियुक्ता **सुनीता** की ओर से शपथकर्ता सीताराम पुत्र धर्मसिंह द्वारा इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वह आवेदिका/अभियुक्ता का पैरोकार है। आवेदिका/अभियुक्ता का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र जिला न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा सोनू की ओर से थाना झिंझाना, जनपद शामली में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि उसकी बहन मधु सैनी की शादी दिनांक 08.12.2023 को कमल सैनी पुत्र गुलाब सिंह के साथ हुई थी। मेरी बहन को कमल से एक बेटी भी है। मेरी बहन को ससुरालीजन पति, सास–ससुर व देवर शादी के बाद से लगातार मारपीट करके तंग व परेशान करते आ रहे थे और सभी मिलकर मारपीट करते थे व कहते थे कि तू अपने घर से क्या लेकर आयी थी, हमने तो अपनी बेटी की शादी में लाखों का सामान दहेज में दिया था। उक्त के संबंध में कई बार वे लोग चौसाना गए और ससुरालीजन से बातचीत करके समझाया था। दिनांक 02–03/01/2026 की रात्रि करीब 02:00 बजे गुलाब सिंह ने फोन करके बताया कि मधु की मौत हो गयी। वे लोग चौसाना आए और देखा कि मधु की मौत हो गयी थी। उपरोक्त ससुरालीजन ने मिलकर षडयन्त्र के तहत मेरी बहन को फांसी पर लटकाकर उसकी हत्या की है। मधु की हत्या की सूचना से उसके पिता को हार्ट अटैक भी आ गया है, जिनका झिंझाना के आयुष्मान अस्पताल में इलाज हो रहा है। उक्त आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर उचित कार्यवाही किए जाने की याचना की गयी।

आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से जमानत हेतु यह आधार लिए गए हैं कि वह निर्दोष है, उसे मामले में झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा कभी भी वादी की लड़की के साथ अतिरिक्त दहेज की मांग नहीं की गयी और न ही उसे परेशान किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है और विलम्ब का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। घटना के जो साक्षी दर्शाए गए हैं, वे सभी हितबद्ध साक्षी हैं। आवेदिका/अभियुक्ता के जेल में रहने से मृतका की दो वर्षीय पुत्री, जो कि उस

INDERPREET JOSH
Digitally signed by INDERPREET JOSH
Date: 2026.04.15 07:23:36 +01'00'

पर आश्रित है, के पालन–पोषण में काफी परेशानी हो रही है, उसकी देखभाल करने वाली वह एकमात्र सदस्य है। उक्त आधार पर जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए यह तर्क दिया गया है कि आवेदिका/अभियुक्ता व अन्य सह–अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री को कम दहेज का ताना देकर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए फांसी लगाकर उसकी दहेज हत्या कारित की गयी है। आवेदिका/अभियुक्ता प्रकरण में नामजद है और प्रकरण में उसकी संलिप्तता एवं आक्षेपित अपराध कारित किए जाने के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। आवेदिका/अभियुक्ता मृतका की सास है और उस पर आरोपित अपराध गंभीर सामाजिक प्रकृति का है। उक्त आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आवेदिका/अभियुक्ता पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी की बहन/मृतका को कम दहेज का ताना देकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए फांसी लगाकर उसकी दहेज हत्या कारित किए जाने का आरोप है। मामले की प्राथमिकी अभियुक्तगण कमल सैनी, गुलाब, सास व देवर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 85, 80, 61(2), 115(2) बी.एन.एस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम दर्ज की गयी थी। दौरान विवेचना मामले में धारा 61(2) बी0एन0एस0 के साक्ष्य न पाए जाने के कारण उक्त धारा का लोप किया गया तथा मृतक के देवर की कथित अपराध में नामजदगी गलत पाते हुए विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त आवेदिका/अभियुक्ता व सहअभियुक्तगण कमल व गुलाब के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 85, 80(2), 115(2) बी.एन.एस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम प्रेषित किया गया है। मामले में अब कोई विवेचना शेष नहीं है। आवेदिका/अभियुक्ता की मामले में कोई स्पेशिफिक भूमिका नहीं दर्शायी गयी है। आवेदिका/अभियुक्ता दिनांक 08.01.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियोजन की ओर से आवेदिका/अभियुक्ता का किसी अन्य आपराधिक मुकदमे का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उसके पूर्व सजायाफ्ता होने का कोई कथन किया गया है।

इसके अतिरिक्त आवेदिका/अभियुक्ता मृतका की सास है, जिसके द्वारा मृतका की दो वर्षीय छोटी बच्ची की देखभाल व परवरिश किया जाना बताया गया है। मृतका के अतिरिक्त उक्त बच्चे की देखरेख व परवरिश करने वाला कोई अन्य व्यक्ति न होना बताया गया है। वादी मुकदमा की ओर से इस संबंध में ऐसा कोई प्रपत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह दर्शित हो कि वह उक्त बच्ची का पालन–पोषण कर रहा हो। सामान्यतया बच्चों के पालन–पोषण की जिम्मेदारी माता–पिता की होती है, परन्तु वर्तमान मामले में बच्ची की माता(मृतका) की मृत्यु हो गयी है तथा पिता एवं दादा–दादी जिला कारागार में निरूद्ध हैं। साधारणतया दादा–दादी का अपने पोता–पोती के प्रति प्रेम व स्नेह स्वाभाविक रूप से रहता है। वर्तमान परिस्थिति में उक्त बच्ची का

पालन–पोषण केवल उनके दादा–दादी द्वारा ही किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में मृतका की बच्ची के पालन–पोषण एवं देखभाल हेतु दादा–दादी को बच्चों के पास होना चाहिए।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं मृतका की छोटी बच्ची के पालन–पोषण व देखभाल को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, यह न्यायालय आवेदिका/अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार पाता है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका/अभियुक्ता **सुनीता** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से अंकन 50,000/(रू0 पचास हजार) रूपए का व्यक्तिगण बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर उसे इस शर्त के साथ रिहा किया जाता है कि–

1. आवेदिका/अभियुक्ता विचारण में सहयोग प्रदान करेगी।

दिनांकः 03.04.2026

(इन्द्र प्रीत सिंह जोश)
सत्र न्यायाधीश,
शामली ।
आई0डी0 नं0–यू.पी.1894